न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 17 / 2014 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2014 / 00060

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

जसाराम पुत्र सुजाराम जाति प्रजापत, निवासी रोहट, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

1. ग्राम पंचायत रोहट मार्फत सरपंच, पता रोहट तहसील रोहट जिला पाली (राज.)
2. पुखाराम पुत्र मोतीराम, जाति प्रजापत निवासी कुम्हारों का बास, रोहट तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी
अप्रार्थी की ओर से दौलत मकवाना

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 30/9/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत रोहट द्वारा जारी पट्टा संख्या 2111 मिसल संख्या 21 निर्णय — प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 5.4.1998 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में दिनांक 5.11.1998 को जारी किया गया को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत रोहट से रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पचायत रोहट से पट्टा संख्या 2111 प्रकरण संख्या 62 / 2017 में भेजना बताया जबकि बैठक कार्यवाही रजिस्टर एवं मिसल पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं होना उल्लेखित किया मिसल दर्ज होना भी नहीं होना बताया। बहस उभयपक्ष सनुी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व न तो ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया न उसे विधिवत दर्ज किया गया न फीस प्राप्त की गई न 3 वार्ड पंचो की कमेटी गठित की गई न मिसल तैयार की गई आपत्ति नोटिस भी जारी नहीं किया गया साक्ष्य दर्ज नहीं किए गए न अन्तरिम निर्णय लिया गया यहां तक कि प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 5.4.98 भी ग्राम पंचायत में पारित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रश्नतगत पट्टा अवैधानिक रूप से बिना प्रक्रिया को अपनाए बिना राजस्थान पंचायती राज नियम 144 से 157 तक की पालना किए 200/— रूपये में जारी कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है पूर्व में बड़ा पट्टा सुखाराम के नाम जारी किया गया उसी पट्टे पर दूसरा पट्टा पुखाराम के नाम से जारी कर किया गया जो निरस्त योग्य है। पत्रावली पंचायत रेकर्ड में नहीं है। भूमी पर निर्माण नहीं किया हुआ है लेकिन फिर भी ग्राम पचांयत द्वारा बिना निर्मित मकान के पट्टा जारी कर दिया गया है जो नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के विपरीत तथा निरस्त योग्य होने से जैर निगरानी पट्टा एवं तथाकथित प्रस्ताव निरस्त फरमाया जावे। एवं निगरानी स्वीकार फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि पट्टा 1998 में जारी किया गया है। एवं पट्टे को प्रश्नगत 2014 में किया गया है जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से निरस्त फरमाया जावे। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में धारा 97 के तहत निगरानी पेश करने में हालांकि म्याद का प्रावधान नहीं है लेकिन माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों में उद्धत किया है कि इसमें म्याद की सीमा अधिकतम 3 वर्ष है तीन वर्ष में निगरानी पेश कर देनी चाहिए थी यह निगरानी म्याद बाहर प्रस्तुत की जाने से निरस्त योग्य है। ... सिविल न्यायालय में एक सिविल वाद 58 / 2012 विचाराधीन ... के विरूद्ध किया गया था इससे यह सिद्ध है कि प्रार्थी ... है दोनों पट्टों के ... भिन्न होना कमीश्नर रिपोर्ट से स्पष्ट है इस प्रकार ... पर पट्टा जारी होना सिद्ध नहीं है। न ही निगरानी प्रस्तुत करने का यथोचित कारण भी दर्शाय गया है उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर निगरानी खारिज फरमावे। एवं पट्टा एवं प्रस्ताव यथावत रखा जाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:25:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः..................2

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया इस पंचायत निगरानी में विचारणीय बिन्दु 2 है :–

1. क्या पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है ?
2. क्या पट्टा नियमानुसार पुश्तैनी कब्जे के आधार पर प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है ?

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों पट्टे जैर निगरानी पट्टा संख्या 2116 एवं पट्टा संख्या 36 मिसल संख्या 84 / 1960 जो दिनांक 31.7.60 को जारी किया गया उन दोनों के कोई भी पडोस समान नहीं है सभी अलग–अलग है इससे पट्टे पर पट्टा जारी किया जाना सिद्ध नहीं होता है। एवं न ही पंचायत की भूमी होना ही सिद्ध होता है इससे जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

ग्राम पंचायत की पत्रावली बाबत ग्राम पंचायत रोहट ने जरिए पत्रांक ग्रा.प. रो. / 2019 / 05 दिनांक 13.2.2019 के अवगत कराया कि मिसल पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है न दर्ज रजिस्ट में दर्ज है। जो इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया या नहीं, शुल्क वसूला गया या नहीं, मौका निरीक्षण हेतु किन पंचों को मनोनित किया गया एवं उनके द्वारा मौका देखा गया अथवा नहीं तथा आपति इश्तिहार जारी किया गया अथवा नहीं तथा कहां चस्पा किया गया दो गवाहों के बयान लिये गये अथवा नहीं इन सभी तथ्यों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है अर्थात राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 145 से 157 तक की पालना की गई अथवा नहीं अर्थात ग्राम पंचायत की पत्रावली के अभाव में प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं इसका परीक्षण किया जाना संभव नहीं है। न ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य / सबूत / दस्तावेज ही प्रस्तुत किया जिससे यह साबित हो सके कि पुश्तैनी मकान अथवा भूखण्ड पर पुश्तैनी कब्जा नहीं था ऐसी स्थिति में में जैर निगरानी पट्टे को अविधिक नहीं ठहराया जा सकता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 2111 जो प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 5.4.1998 की पालना में मिसल संख्या 21 में पारित आदेशों की पालना में जारी किया गया उन्हें यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:25:54 IST
Reason: SelfAttested